कार्यालय मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।

पत्रांकः–3030 दे०क्षे० / पे०पा०अ० दे०क्षे० / 2021 दिनांकः–07 / 5 / 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी

जनपद गोण्डा।

विषयः–जनपद गोण्डा में फरेन्दा–जरवल मार्ग (राज्य मार्ग सं0–1ए) के किमी0–218 के चैनेज 217.400–217.600 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर मेसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्र संख्या–07 / जे.ए.(अना.प्र.पत्र) / 2021 दिनांक–01.03.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा को उनके पत्रांक–1447 / 114काम–गो0वृ0 / 2021 दिनांक 23.03.2021 जनपद गोण्डा में फरेन्दा–जरवल मार्ग (राज्य मार्ग सं0–1ए) के किमी0–218 के चैनेज 217.400–217.600 (नगरीय क्षेत्र) पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या / संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:–

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प जनपद गोण्डा में फरेन्दा–जरवल मार्ग (राज्य मार्ग सं0–1ए) नवघोषित राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या–330बी) के किमी0–218 के चैनेज 217.400–217.600 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर स्थित ग्राम सकरौरा नगरीय, परगना ग्वारिच तहसील–करनैलगंज व जिला गोण्डा में स्थित भूमि गाटा संख्या–1261 व 1262 के आशिंक भाग पर मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।
2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से बांयी ओर 18.29मीटर(60फीट) की दूरी अथवा लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि जो भी अधिक हो तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 से0मी0 नीचा करना होगा जिसमें मार्ग की लेपित सतह पर जल भराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 2 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिए।
4. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.60 मीटर आर0सी0सी0 पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेटिंग से ढका जाय ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
5. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुंचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन0पी0–3 हयूम पाइप / आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी / मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
6. आबादी क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण Deceleration & Acceleration lanes का निर्माण न होने कारण सुरक्षा सम्बन्धी मानको / प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. भू–स्वामित्व की जिम्मेदारी लो0नि0वि0 पर नहीं होगी। भू–स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भू–स्वामित्व होने, संलग्न किराये नामें की दशा में ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा। अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा
8. IN & EXIT हेतु साईन बोर्ड इस प्रकार लगाये जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दें।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू0पी0रोड सा0ले0क0एक्ट–1945 के अन्तर्गत निहित शर्तों का भी पालन करना होगा।

उपांशु कुमार / UPANSHU KUMAR
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. / Indian Oil Corporation Ltd.
कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ / Kapoorthala Complex, Aliganj, Lucknow
1/6/21

PTO––

10. मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0 गोण्डा द्वारा ब्लू प्रिन्ट/मानचित्र पर अंकित किये गये प्रतिबन्धों को भी पालन करना अनिवार्य होगा।
11. जब भी मार्ग चौडीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो पम्प मालिक द्वारा लो0नि0वि0 को भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
12. लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नही होगा।
13. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
14. **यह एन0ओ0सी0 प्राविजनल है** अन्तिम एन0ओ0सी0 अनुमोदित ड्राइंग एवं लागू प्रतिबन्धों/दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराने के 6 माह के अन्दर आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन तिथि के 30 दिवस के अन्दर प्रदान की जा सकेंगी। एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी।
15. मानचित्र पर अंकित कतिपय प्रतिबन्धों एवं उपरोक्त सभी अथवा एक भी निर्देश एवं एम0ओ0एस0टी0 के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0/33023/19/99–डी0ओ0–III दिनांक 24.07.2013 तथा "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और विभाग किसी भी प्रकार की हानि आदि के लिए उत्तरदायी नही होगा तथा विभाग के विरूद्ध कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता।
16. प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या–17974एम0टी0/सामान्य वर्ग/6 एम0टी0/1999 दिनांक 11.12.2019 के माध्यम से प्राप्त शासनादेश सं0 1882/23–12–19–1365/17टीसी दिनांक 04 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रख्यापित गाईड लाईस "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित प्रतिबन्धों अनुसार 10 साल के पश्चात पुनः निर्धारित प्रोसेसिंग फीस (रूपया दस हजार मात्र) जमा करने एवं शर्तों का अनुपालन करने पर अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग के दिशा निर्देशों (जो भी तत्समय लागू हो) के आधार पर लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामसेवक, निवासी–ग्राम सकरौरा नगरीय, परगना ग्वारिच तहसील–करनैलगंज व जिला गोण्डा पर बाध्यकारी होगा।
17. विभागीय भूमि में अस्थाई/स्थायी किसी भी तरह का निर्माण नही किया जायेगा एवं उक्त निर्माण कार्य खुला/कृषि क्षेत्र में होना है।
18. नियमानुसार अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, गोण्डा द्वारा लाइसेन्स एवं प्रोसेसिंग फीस का बैंक ड्राफ्ट खण्ड में जमा करा लिया गया है।
19. "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" के ऐपेन्डिक्स–III में वर्णित लाइसेन्स डीड रू0 100/–(आयल कम्पनी/पेट्रोल पम्प मालिक एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित) क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर ली गयी है।
20. चूकि प्रस्तावित आउटलेट की स्थापना का मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका है। अतः मार्ग के हस्तान्तरण के उपरान्त दी जा रही अनुमति को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से Revalidate कराना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ऑयल कम्पनी का होगा।

संलग्नकः– मानचित्र मूल में।

7/5/2021

अरविन्द कुमार (जैन)
मुख्य अभियन्ता,
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र
लो0नि0वि0, गोण्डा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा को उनके पत्रांक–1447/114काम–गो0वृ0/2021 दिनांक 23.03.2021 के सन्दर्भ में।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, गोण्डा।

1/6/21
उपांश कुमार/UPANSH KUMAR
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)/Sr. Manager (Retail Sales)
लखनऊ मण्डलीय कार्यालय/Lucknow Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि./Indian Oil Corporation Ltd.
कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ/Kapoorthala Complex, Aliganj, Lucknow

मुख्य अभियन्ता,
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र
लो0नि0वि0, गोण्डा।

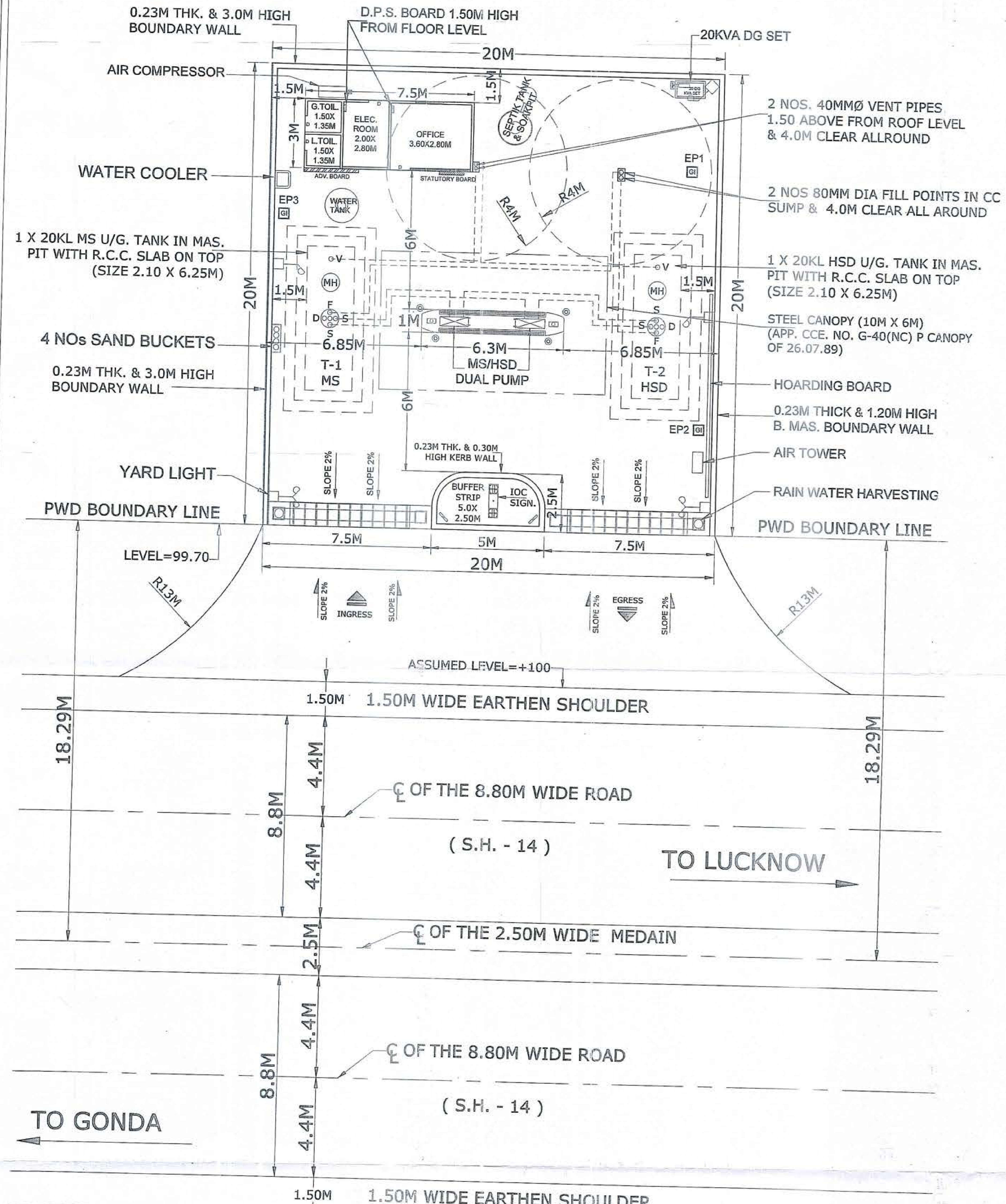

LAYOUT PLAN
SCALE:-1:200

TOTAL PLOT AREA-400 SQ. M.

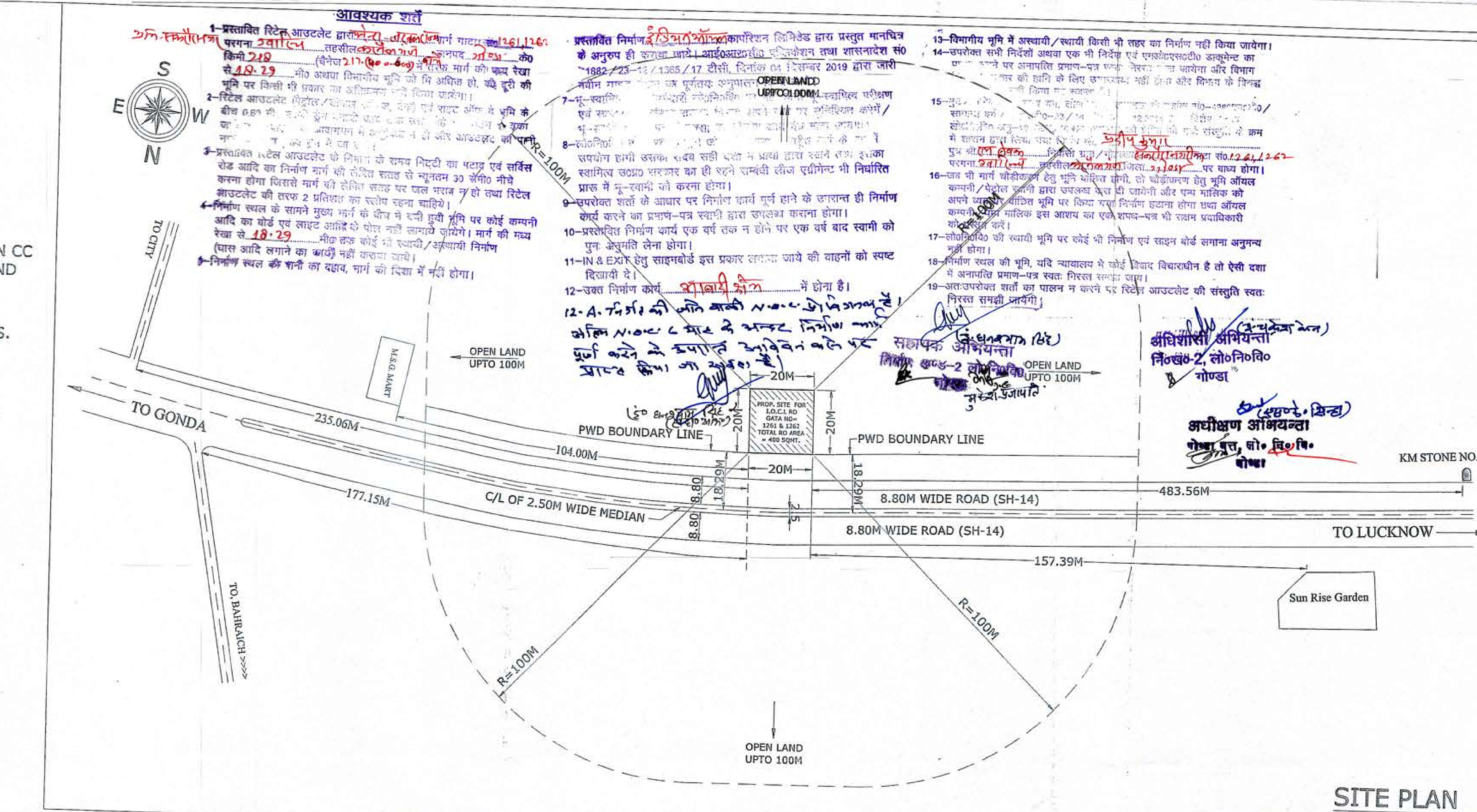

SITE PLAN
SCALE:-1:800

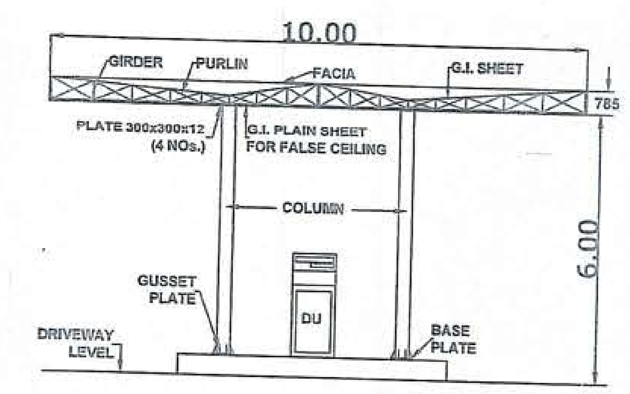

CANOPY DETAILS

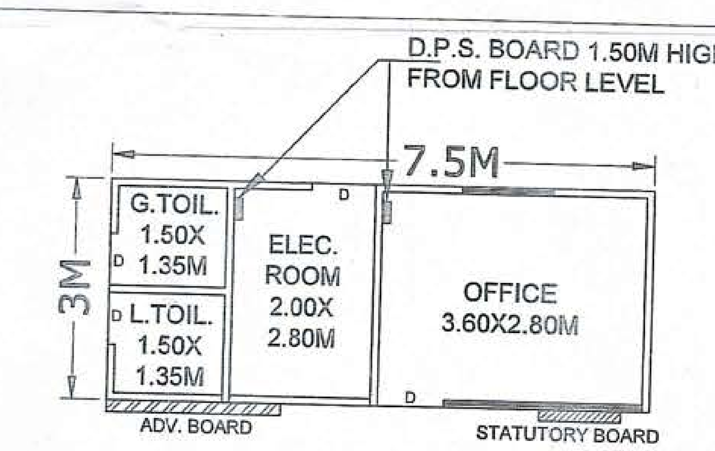

SALES BUILDING PLAN (7.5M x 4.0)
SCALE: 1:100

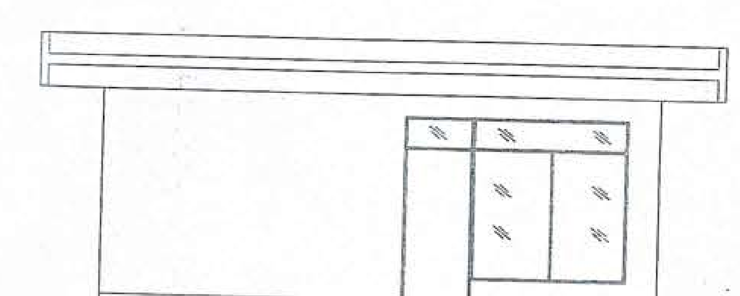

FRONT ELEVATION OF BUILDING

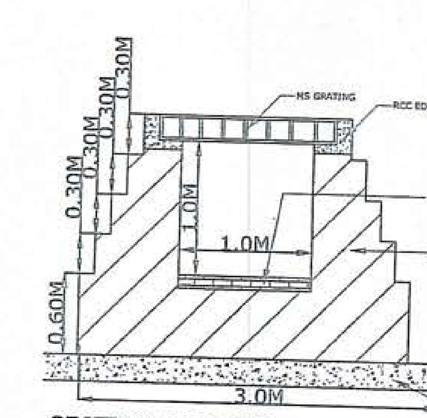

SECTION OF DRAIN AS PER IRC SP-13 TYPE-A

SPECIFICATION NOTES- I

1. CERTIFIED THAT NO OTHER STRUCTURE WILL BE ERECTED NOR ANY OTHER SERVICE RENDERED EXCEPT THAT CONNECTED WITH PETROL PUMP WITHOUT THE PRIOR APPROVAL OF P.W.D.
2. CERTIFIED THAT THERE IS NO CROSSING WITHIN 300M BETWEEN THE TANGENT POINTS OF THE CURVES OF SIDE ROAD AND THAT OF THE FUEL-FILLING CUM SERVICE STATION.
3. CERTIFIED THAT THERE IS NO OBJECTION FROM ROAD POINT OF VIEW FOR THE INSTALLATION OF THIS PUMP. THE PROPOSAL WILL NOT AFFECT THE FUTURE IMPROVEMENT OF THE ROAD.
4. CERTIFIED THAT NO OTHER PETROL PUMP EXISTS WITHIN THE DISTANCE OF 300M ON EITHER SIDE OF THE PLOT.
5. CERTIFIED THAT ALL CONDITIONS LAID DOWN BY THE GOVT. OF INDIA AND IRC FROM TIME TO TIME WITH REGARD TO THE LOCATION OF ROAD SIDE FUEL-FILLING CUM SERVICE STATIONS SHALL BE COMPLIED WITH & ENTIRE CONSTRUCTION WILL BE ON CORPORATION LAND.
6. NO DRAIN, SEWER OR STRUCTURE WITHIN 1.5M FROM UNDER GROUND TANKS.
7. SUCTION PIPES, UNDER DRIVEWAY HOUSED IN PIPE SLEEVES.
8. ELECTRIC FITTINGS CONFORM TO IS CODE NO- 2148 FOR DISPENSING PUMP ONLY.
9. DPS BOARD IS FIXED 1.5M HIGH FROM FLOOR LEVEL AND WILL NOT BE KEPT UNDER LOCK AND KEY.
10. 40MMØ VENT PIPES, 4M HIGH FROM GROUND LEVEL AND 4M CLEAR ALROUND. THE OPEN END OF VENT PIPE COVERED WITH TWO LAYERS OF NONE CORRODIBLE METAL WIRE GAUGE OF 11MESH PER LINIER CM.
11. 80MMØ FILL PIPES, TO BE PROVIDED 3.65M CLEAR ALL ROUND.
12. FIRE FIGHTING EQUIPMENT:-
    6 NOS .FOAM TYPE OF FIRE EXTINGUISHERS OF CAPACITY 9KG EACH FOR PETROLEUM FIRE, 2NOS CO2 TYPE FIRE EXTINGUISHERS OF CAPACITY OF 3KG EACH FOR FIGHTING ELECTRICAL FIRE AND 6NOS. OF FIRE BUCKETS FILLED WITH DRY SAND SHALL BE PROVIDED AT THE PETROL PUMP.
13. CERTIFIED THAT THERE WILL NOT BE ANY HINDRANCES FROM OVER HEAD HT LINES.
14. CERTIFIED THAT THE SURPLUS WATER WILL NOT BE DISPOSED OFF ON P.W.D LAND.
15. CERTIFIED THAT ALL THE CONDITIONS OF IRC-1983/2003 SHALL BE COMPLIED WITH.

IMPORTANT NOTES:-

1. CERTIFIED THAT THIS IS A NEW RETAIL OUTLET (KSK).
2. CERTIFIED THAT NO COURT CASE IS PENDING IN ANY COURT OF INDIA AGAINST THIS SITE/DEALERSHIP.
3. CERTIFIED THAT ALL THE CLEARANCES/APPROVALS FROM MCP/IRC AND OTHER RELEVANT GOVT. DEPTT. SHALL BE OBTAINED.
4. CERTIFIED THAT ALL FACILITIES AS SHOWN IN THE DRAWING SHALL BE INSTALLED/PROVIDED AT ABOVE R/O.
5. STEEL CANOPY APPROVAL NO. CCE G-40 (NC) P-CANOPY dt. 26.07.89.

SPECIFICATIONS FOR TANKS:-

1. MS TANK OF 20KL CAPACITY FABRICATED AS PER DRG. APPROVED BY CCE VIDE LETTER NO. P-6(3) 51 DATED 23.01.2007.

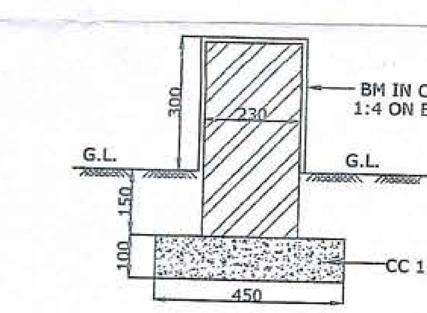

X-SECTION OF KERB WALL

TANK SCHEDULE :-

TANK NO.	PRODUCT	CAPACITY
1	MS	20KL
2	HSD	20KL

PUMP SCHEDULE :-

PRODUCT	NO.OF PUMP	NO.OF NOZZLE
MS	2	2
HSD	2	2

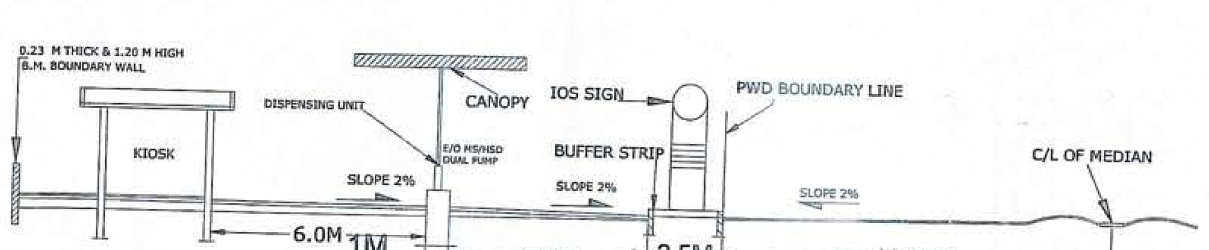

CROSS SECTION AT -'AB'

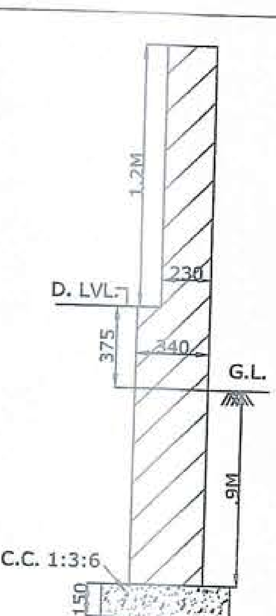

X-SECTION OF B.M. BOUNDARY WALL

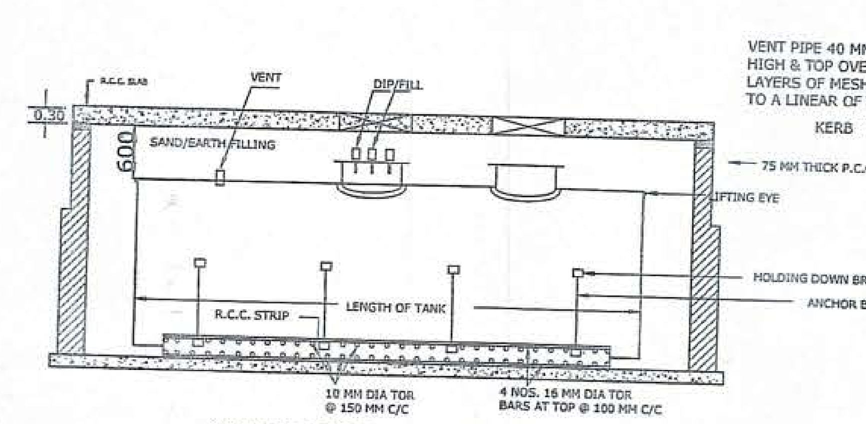

LONGITUDINAL SECTION 20KL TANK

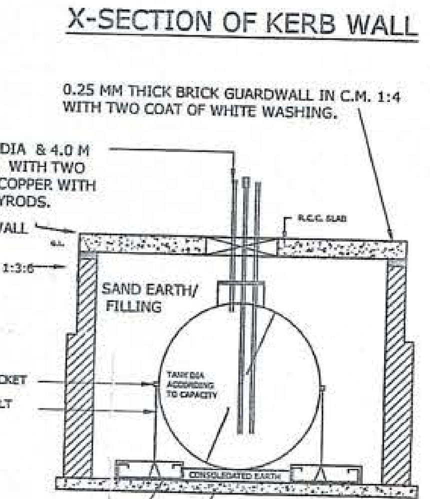

TYPICAL SECTION OF U/G TANK

SITE INFORMATION

GATA NO.	1261 & 1262
VILLAGE	SAKRAURA
ROAD	S.H.-14
TEHSIL	COLONELGANJ
DISTT.	GONDA
STATE	UTTAR PRADESH
POLICE STATION	COLONELGANJ
RAILWAY STATION	COLONELGANJ
PINCODE	271502

REV. NO.	DESCRIPTION	DATE	REV. BY.	APP. BY.

IndianOil

INDIAN OIL CORPORATION LTD.
(MARKETING DIVISION)
LUCKNOW DIVISIONAL OFFICE

PROJECT:- PROPOSED MS/HSD RETAIL OUTLET IN COLONELGANJ WML ON GONDA - LUCKNOW (SH-14) ROAD, AT VILLAGE SAKRAURA, TEHSIL-COLONELGANJ, DISTT.- GONDA (U.P.)

TITLE:- SITE & LAYOUT PLAN OF RETAIL OUTLET

DRG NO.:- RO/LKO/SAKRAURA | DRG DATE :- 05.02.2021

M/S Acceptance Partners New Delhi Mob. 8527237363			
DRAWN BY	Mgr. (Engg.)	Sr. Mgr. (RS)	CDRSM (Lucknow DO)

उपांशु कुमार / UPANSH KUMAR
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री) / Sr. Manager (Retail Sales)
Chief Divisional Retail Sales Manager